



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अर्जुन बनाम नायब तहसीलदार अजीतगढ मु0नं0 36 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">(बाबूलाल गीयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	

36
2020



18/18

2020/00243

श्री सागर मल्ल
तहसील पेशा
गई।
25/8/18

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

अर्जुन पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर
जिला सीकर राज 0 14 84 320 17 327

अपीलांत

ब नाम

नायब तहसीलदार महोदय अजीतगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

श्री 52
दिनांक 25/8/18
200
31-8-18

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.07.2018
न्यायालय अपर जिला कलेक्टर महोदय सीकर
प्रकरण अनुवानी अर्जुन बनाम नायब
तहसीलदार मु.नं. 140/17 व आज्ञा दिनांक
06.12.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार
अजीतगढ प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम
अर्जुन मु.नं. 129/2017 अं० धारा 91
राजस्थान ले.रे.एक्ट
अपील अं० धारा 76 राज.ले.रे.एक्ट

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
बुगलपुर ने स्थानीय पार्टीबाजी के आधार पर अपीलांत के विरुद्ध इस
आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांत भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा
0.48 हेक्टर में से 0.02 हेक्टर भूमि पर नाजायज रूप से डोल लगाकर
अतिक्रमण कर लिया उक्त रिपोर्ट रेस्पोंडेन्ट के यहां प्रस्तुत होने पर
प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को जरिए नोटिस तलब किया, जिस
पर अपीलांत योग्य अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया व अपना
जवाब नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अपीलांत व

25/8/18